संख्या-28/2019/583/52-1-2019-01(27)/2015

प्रेषक,

हरी राम,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2019

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 96वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 24-03-2015 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत 35 जनपदों में अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों के चयनित 300 विद्यालयों के सापेक्ष 294 विद्यालयों में तकनीकी/कम्प्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु केन्द्रांश की **तृतीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(47)/2013-पी0पी0, दिनांक 21.04.2014 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-245/52-1-2015-01(27)/2015, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा 300 विद्यालयों हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 923.22 लाख तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(47)/2013-पी0पी0, दिनांक 30.03.2017 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-136/52-1-2019-01(27)/2015, दिनांक 21 फरवरी, 2019 द्वारा 294 विद्यालयों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 797.6621 लाख प्रश्नगत प्रशिक्षण के लिए नामित कार्यदायी संस्था **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०(ई०सी०आई०एल०)** को अवमुक्त की गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/82/2018-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 31.03.2019 द्वारा प्रश्नगत 300 विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 3077.40 लाख में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 1846.44 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि रू0 738.576 लाख अवमुक्त की गयी है। जबकि निदेशालय द्वारा 300 के सापेक्ष 294 विद्यालयों को सत्यापित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत 294 विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 3015.85 लाख में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 1809.511 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 723.804 लाख **(रूपये सात करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार चार सौ मात्र)** तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 482.536 लाख **(रूपये चार करोड़ बयासी लाख तिरपन हजार छः सौ मात्र)** अर्थात् **कुल रू0 1206.34 लाख (रूपये बारह करोड़ छः लाख चौतीस हजार मात्र)** योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 2250.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shiksha.up.gov.in

(के०- 60 /रा०-40) **(रू0 लाख में)**

क्र0	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश (294विद्यालय)	कुल राज्यांश (294विद्यालय)	पूर्व में अवमुक्त (294विद्यालय) **प्रथम किश्त** (के+रा0)	पूर्व में अवमुक्त (294विद्यालय) **द्वितीय किश्त** (के+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित **तृतीय किश्त**		अवमुक्त हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों के चयनित 300 के सापेक्ष 294 विद्यालयों में तकनीकी / कम्प्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार	294 विद्यालय	10.258	1809.511	1206.341	923.22	797.6621 (904.7556-18.464-88.62916)	723.804	482.536	1206.34
	योग			1809.511	1206.341	923.22	797.6621	**723.804**	**482.536**	**1206.34**

नोट- भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना हेतु केन्द्रांश की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि 300 विद्यालयों के सापेक्ष अवमुक्त की गयी है, जबकि द्वितीय किश्त आवंटन हेतु निदेशालय द्वारा 294 विद्यालयों की सत्यापन आख्या प्रेषित की गयी है। तद्क्रम में 294 विद्यालयों के सापेक्ष बनने वाले द्वितीय किश्त की केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित कुल धनराशि रू0 904.7556 लाख में पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त में 06 विद्यालयों की प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 11.07864 लाख तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 7.385 लाख अर्थात **कुल रू0 18.464 लाख** की अधिक निर्गत धनराशि का समायोजन तथा कुछ जनपदों में कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत निदेशालय के पत्र दिनांक 13.12.2018 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि से 10 प्रतिशत कटौती कर धनराशि अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया था, का भी समायोजन करते हुए उपरोक्त चार्ट के कॉलम-8 में धनराशि का विवरण अंकित है । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना की तृतीय किश्त भी 294 विद्यालयों के सापेक्ष निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परियोजना तीन किश्तों में क्रमशः 30:30:40 के अनुपात में जारी की जानी है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-15 (ख) में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित है :-

þयदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।þ

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

http://gbiasanadesh.up.gov.in

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (ई०सी०आई०एल०)** को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।**

(5)- प्रशिक्षण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता तथा अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(6)- शैक्षिक प्रशिक्षण की विशिष्टियॉं, मानक, भवन एवं उपकरण आदि वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो । अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा ।

(8)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे ।

(12)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित परियोजना हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(13)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(14)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(15)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(16)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17)- प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व निदेशालय का होगा ।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-(के० 60 /रा० 40-के०+रा०)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान"** के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-606/दस-2019, दिनांक 16.07.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-583(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (ई०सी०आई०एल०)** को इस आशय से प्रेषित कि चयनित 300 के सापेक्ष 294 विद्यालयों में प्रशिक्षण का कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://vidhansabha.up.gov.in